विद्यापरिषद की 11वीं बैठक

कार्यवृत्त

(Minutes)

दिनॉक 25.08.2001

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय
चित्रकूट, जिला–सतना, म०प्र०

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म0प्र)

विद्या परिषद की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त-

दिनांक- 25.8.2001 को इस विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की 11वीं बैठक विश्वविद्यालय के संगोष्ठी कक्ष में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

उपस्थितिः

1.	डॉ0 टी.करूणाकरन, कुलपति, म.गां.चि.ग्रा.वि.वि.,चित्रकूट	अध्यक्ष
2.	डॉ0 आर.वी. सोहगौरा, प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद कालेज, रीवा	विशेष (वाह्य) आमंत्रित सदस्य
3.	डॉ0 सियाराम शरण शर्मा, पूर्व शोध निदेशक, तुलसीशोध संस्थान, प्रमोदवन, चित्रकूट	विशेष (वाह्य) आमंत्रित सदस्य
4.	डॉ0 शिवराज सिंह सेंगर, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
5.	इं0 के.सी. शर्मा, निदेशक, लोक विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान	सदस्य
6.	इं0 के.सी. श्रीवास्तव, अधिष्ठाता, छात्रकल्याण अधिष्ठान	सदस्य
7.	डॉ0 घनश्याम गुप्ता, प्रभारी, विज्ञान संकाय	सदस्य
8.	डॉ0 अरूप कुमार गुप्ता, प्रभारी, कृषि एवं पशु विज्ञान संकाय	सदस्य
9.	डॉ0 अमरजीत सिंह, प्रभारी, ललित कला संकाय तथा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय	सदस्य
10.	डॉ0 योगेश कुमार उपाध्याय, प्रभारी, वाणिज्य संकाय एवं समन्वयक, एम.बी.ए.- एस.बी.एम.	सदस्य
11.	डॉ0 रामचन्द्र सिंह, उपनिदेशक, प्रसार विभाग एवं समन्वयक, एम.बी.ए. - आर.एम.	सदस्य
12.	डॉ0 विनोद शंकर सिंह, प्रभारी, ग्रामीण पुनर्रचना संकाय	सदस्य
13.	डॉ0 भँवरपाल सिंह, प्रभारी, पर्यावरण	सदस्य
14.	इं0 पीयूष गर्ग, प्रभारी, आयुर्वेद संकाय	सदस्य
15.	डॉ0 रघुवंश बाजपेई, प्रभारी, पुस्तकालयाध्यक्ष	सदस्य
16.	इं0 राजेश कुमार खर्‌या, उपकुलसचिव (परीक्षा एवं अकादमी)	सदस्य
17.	डा0 अमरजीत सिंह, सहायक कुलसचिव (दूरवर्ती)	सदस्य
18.	श्री गिरधर माथनकर, समन्वयक - क्रेडिट सिस्टम एवं वी.एस.आर.	प्रस्तावक सदस्य
19.	डा0 शशिकान्त त्रिपाठी, समन्वयक, रिमोट सेंसिंग एण्ड जी.आई.एस.	प्रस्तावक सदस्य
20.	डा0 प्रमिला सिंह, समन्वयक, बी.एफ.ए.	प्रस्तावक सदस्य
21.	इं0 आशुतोष उपाध्याय, प्रवक्ता, आई.पी.एस.टी.	
22.	डा0 भरत मिश्रा, समन्वयक, बी.एस-सी.(आई.टी.ए.)	प्रस्तावक सदस्य
23.	डा0 बृजेश उपाध्याय, कुलसचिव	सचिव
24.	डा0 ललित कुमार सिंह, सहायक कुलसचिव(अकादमी)	

कुलसचिव ने समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही के लिए अनुमति मांगी।

वाइस चांसलर डा० सिताराम शरण शर्मा, एवं डा० आर.सी. सिकरवार ने अपनी सदस्यता के लिए पुनः कुलपति नियुक्त होने पर प्रो० सी. कलसाकरन को बधाई दी।

बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि आज की बैठक के विभिन्न बिन्दुओं पर सभी सदस्य अपने अमूल्य सुझाव प्रस्तुत करें।

पद क्रमांक	
11.1	**विद्या परिषद की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि-** विद्या परिषद की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त को पढ़कर समस्त सदस्यों को सुनाया गया। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से 10वीं विद्या परिषद के बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया। विद्या परिषद की 11वीं बैठक की कार्यसूची के परिशिष्ट "2" के क्रम कार्यवाही हुई कालम में निम्नलिखित बिन्दुवार संशोधन के साथ पारित की गयी।
10.6.2	कार्यवाही अपेक्षित नहीं है की जगह "क्रियान्वित हुआ पढ़ा जाय"।
10.9	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है की जगह "क्रियान्वित हुआ पढ़ा जाय"।
10.12	पालन किया गया पढ़ा जाय।
10.14	कार्यवाही अपेक्षित है की जगह "कार्यवाही चल रही है पढ़ा जाय"।
10.15	मानव संसाधन की तैयारी एवं अधोसंरचना जारी है के साथ "जानकारी दी गई" जोड़कर पढ़ा जाय।
10.16	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है की जगह "पालन किया गया" पढ़ा जाय।
11.2	**शैक्षणिक सत्र 2000-2001 में चलाये गये पाठ्यक्रमों की सूचना एवं पश्चात्वर्ती अनुमोदन-** उक्त सत्र में चलाये गये पाठ्यक्रमों की सूचना को अंकित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।
11.3	**शैक्षणिक सत्र 2001-2002 में चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों की सूचना एवं पश्चात्वर्ती अनुमोदन -** परिशिष्ट "4" में निम्नलिखित संशोधन करने का सुझाव दिया गया एवं अनुमोदित किया गया। बी.टेक. (आई.टी./एफ.टी./एग्री.इंजीनियरिंग) के प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता 10+2 या समकक्ष तथा व्यापम (व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल, म.प्र.) की न्यूनतम अर्हता मान्य किया जाय। एम.ए.(डी.ए.) की न्यूनतम अर्हता के संबंध में अगले सत्र 2002-2003 में प्रवेश से पहले चर्चा होगी। एम.एस-सी.(पर्यावरण) में प्रवेश हेतु अर्हता स्नातक (पी.सी.बी.जी.) के बारे में निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र 2002-2003 में प्रवेश से पहले विस्तृत चर्चा होगी। अध्यक्ष प्रवेश समिति द्वारा चिन्हित किया गया कि एस.सी./एस.टी. के प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता में 5 प्रतिशत शिथिलीकरण होना चाहिए। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश के शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाय। विकलांगों के प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता में छूट के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि विकलांगों के आरक्षण से संबंधित मध्य प्रदेश शासन से शासनादेश (जी.ओ.) मंगाने के बाद कार्यवाही की जाय।

11.4	विश्वविद्यालय की स्थायी समिति द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर लिये गये निर्णयों की सूचना एवं पश्चात्वर्ती अनुमोदन-
11.4.1	दिनांक- 22.8.2000 एवं 24.8.2000 को संपन्न स्थायी समिति की बैठक में श्री योगेश उपाध्याय, प्रवक्ता, वाणिज्य संकाय के पी-एच.डी. शोध ग्रंथ जमा करने के संबंध में मा. कुलपति महोदय ने श्री उपाध्याय के तीन शोध पत्रिकाओं (Referred journal) में प्रकाशित लेखों तथा उनके द्वारा पूर्व काल में किये गये शोध कार्य को ध्यान में रखते हुए 24 माह से पूर्व शोध ग्रंथ जमा करने की इस शर्त पर अनुमति प्रदान की है कि आर.डी.सी. एवं विद्या परिषद का निर्णय अंतिम होगा। समिति के सभी सदस्यों ने मा. कुलपति महोदय की स्वीकृति का सम्मान करते हुए सहमति जताई तथा भविष्य में प्रशासनिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरण को आगामी विद्या परिषद में रखे जाने का सुझाव दिया के संबंध में निर्णय लिया गया कि- **निर्णय** - ***विशेष परिस्थिति को समझाया गया और अपवाद के रूप में श्री योगेश उपाध्याय को समय से पूर्व शोध ग्रंथ जमा करने का पश्चात्वर्ती अनुमोदन किया गया तथा उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।***
11.4.2	स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22 एवं 24 अगस्त, 2000 को संपन्न हुई, बैठक में निम्नांकित शोधार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा शोध उपाधि प्रदान करने की सूचना अंकित की गई एवं सर्वसम्मति से सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। 1. श्री शैलेन्द्र कुमार 2. श्री सीताशरण गौतम 3. श्री सूर्यप्रकाश शुक्ला 4. श्री भरत मिश्रा 5. श्रीमति सुनीता मिश्रा 6. श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी 7. श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा 8. श्री बृजेश उपाध्याय 9. श्री जमशेद असलम अंसारी उक्त के संबंध में निर्णय लिया गया कि- **निर्णय** - ***स्थायी समिति के निर्णय को अनुमोदित किया तथा निर्देशित किया गया कि अधिसूचना जारी करते समय श्री योगेश उपाध्याय का नाम भी जोड़ लिया जाय।***
11.4.3	पी-एच.डी. उपाधि के प्रारूप के संबंध में सभी सदस्यों ने निम्न सुझाव के साथ प्रारूप को अनुमोदित किया - क) उपाधि का प्रारूप हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हो। ख) अभी तक की उपाधियों के विषय को प्रगट करने के लिए शीर्षक एवं संकाय का नाम लिखा जाय तथा प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिये तीन सदस्यीय एक समिति काम करेगी। उक्त समति में निम्नलिखित सदस्य होंगे- (1) कुलपति (2) डा. शिवराज सिंह सेंगर, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय (3) डा. घनश्याम गुप्ता, प्रभारी, विज्ञान संकाय। सभी सदस्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि एवं डी.लिट्. देना स्वीकार किया।
11.4.4	दिनांक 8.1.2001 एवं 13.1.2001 को संपन्न स्थायी समिति की बैठक में छात्र श्री धनंजय सिंह, बी.एफ.ए. (पूर्व छात्र) के प्रकरण पर विचार किया गया। यह छात्र तीन वर्ष अध्ययन कर चुका है, इसकी आंतरिक मूल्यांकन की औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी थी, किन्तु यह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका। यह छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश चाहता है। मा0 कुलपति महोदय ने विद्या परिषद/स्थायी समिति की प्रत्याशा में छात्र को प्रथम सेमेस्टर में पढ़ने की अनुमति प्रदान की। सदस्यों ने इस प्रकरण पर विचार कर सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान की। पश्चात्वर्ती अनुमोदन हेतु प्रस्तुत। ***निर्णय - अनुमोदित किया गया।***

11.4.5	दिनांक 8.1.2001 एवं 13.1.2001 को संपन्न स्थायी समिति की बैठक में डा0 ललित सिंह, सहायक कुलसचिव (परीक्षा) तथा कुलपति द्वारा स्थायी समिति में भेजे गये पी-एच.डी. अध्यादेश के संशोधन/परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा सहमति हुई कि विशेषज्ञों से बैठक कर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा पी-एच.डी. अध्यादेश को सुधारा एवं बेहतर विद्या परिषद में प्रस्तुत किया जाय के संबंध में निर्णय लिया गया कि - निर्णय - *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से इस संबंध में दस्तावेज (वर्तमान) लाकर संशोधन पूर्ण किया जाय तथा तृतीय आर.डी.सी. के सुझाव जिन्हें 10वी विद्या परिषद के बिन्दु 10.6.1 द्वारा मान्य किया गया था उन्हें वर्तमान पी-एच.डी. आर्डिनेन्स में जोड़ लिया जाया*
11.4.6	दिनांक 26.5.2001 को संपन्न स्थायी समिति की बैठक में प्रभारी अधिष्ठाता, कृषि संकाय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव कि- बी.एस-सी.(कृषि), प्रथम सेमेस्टर (1999-2000) के परीक्षाफल को घोषित करने में कठिनाइयां आ रही है। छात्र द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा दे चुकें है। क्रेडिट सिस्टम के नियमानुसार अध्ययन जारी रखने के न्यूनतम सी.जी.पी.ए-2.5 को लागू किया जाता है तो तकनीकी समस्याएं उत्पन्न होगी। समिति ने क्रेडिट सिस्टम के नियमानुसार अध्ययन को जारी रखने के लिए न्यूनतम सी.जी.पी.ए. - 2.5 के संबंध में विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्न संशोधनात्मक निर्णय लिये - (अ) प्रवेश परीक्षा या पूर्व अंकों के आधार पर शैक्षणिक रूप से दुर्बल छात्र चिन्हित किये जायेगें और पहले सेमेस्टर में उनका शैक्षिक भार परामर्श के आधार पर 50 प्रतिशत कम किया जा सकता है, जिसमें बी.एस.आर. संलग्न नही होगा। (ब) 2.5 सी.जी.पी.ए. का नियम प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के अंत में प्रभावी होगा किन्तु एक वर्षीय पाठ्यक्रमों में यह प्रथम सेमेस्टर के अंत में प्रभावी होगा। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। ***निर्णय :- स्थायी समिति के निर्णय को मान्य किया गया।***
11.4.7	दिनांक 26.5.2001 को संपन्न स्थायी समिति की बैठक में समन्वयक, सांस्कृतिक पर्यटन सर्टिफिकेट कोर्स, डा0 कपिलदेव मिश्रा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव कि सांस्कृतिक पर्यटन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम को पार्टटाइम घोषित किया जाय। समिति ने विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया। पश्चात्वर्ती अनुमोदनार्थ। ***निर्णय :- स्थायी समिति के निर्णय को मान्य किया गया।***
11.4.8	दिनांक 26.52001 को संपन्न स्थायी समिति की बैठक में समन्वयक एम. एस-सी.(आर.सी.आई.) द्वारा प्रेषित एम.एस-सी. (आर.सी.आई.) का अध्ययन मण्डल द्वारा पारित सिलेबस (पाठ्यक्रम) स्थायी समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रस्ताव पर समिति ने निम्न निर्णय लिया- "अध्ययन मण्डल द्वारा पारित एम.एस-सी.(आर.सी.आई.) का पाठ्यक्रम सत्र 2000-2001 से प्रारंभ एम.एस-सी. (आर.सी.आई.) पाठ्यक्रम के लिए लागू होगा।" विद्या परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में समिति ने इसे अनुमोदित किया। नोट- 1999-2000 के एम.एस-सी.(आर.सी.आई.) के लिए पूर्व में एम.एस-सी. (आई.सी.) के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम ही प्रभावी होगा। ***निर्णय :- स्थायी समिति के निर्णय को मान्य किया गया।***
	स्थायी समिति की विभिन्न बैठक दिनांक- 7.5.2000, 2.6.2000, 22.8.2000 व 24.8.2000, 8.1.20011 एवं 13.1.2001, 8.5.2001, 26.5.2001 एवं 27.5.2001 में लिये गये निर्णयों से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया जिसे सभी सदस्यों ने मान्य किया।

11.5	विभिन्न विभागों से प्राप्त नये पाठ्यक्रमों के प्रस्तावों पर विचार- उक्त पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये -
	1. शिक्षा संकाय एम.एड. (ग्रामीण) पाठ्यक्रम चलाये जाने हेतु। *निर्णय - ग्रामीण शब्द पर का पुनर्विचार करके अध्ययन मण्डल की बैठक कराने के बाद उचित शीर्षक के साथ प्रस्तुत किया जाया अध्ययन मण्डल की बैठक में डा. अनिल सद्गोपाल जैसे विशेषज्ञ बुलाये जाँया।*
	2. पुस्तकालय एवं सूचना विभाग विश्वविद्यालय पुस्तकालय समिति के गठन का अनुमोदन। *निर्णय - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार पूर्व में ही कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। सूचना अंकित की गई।*
	3. दूरवर्ती (i) MA in Development Alternative & Voluntary Action (ii) Dip. in Development Alternative & Voluntary Action (iii) Dip. in Panchayati Raj (Gramswaraj) (iv) Certificate in Gramswaraj सागर, इन्दौन एवं अन्य क्षेत्रों के संस्थानों को दूरवर्ती पाठ्यक्रम का क्षेत्रीय संचालन में भागीदार बनाने हेतु मार्गदर्शन। *निर्णय - दूरवर्ती शिक्षण के पाठ्यक्रमों को चलाने की अनुमति प्रदान की गई तथा क्षेत्रीय संचालन को भागीदार बनाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि वि.वि. के नियम निश्चित कर लिये जांय जो उसको पूर्ण करता हो उन्हें भागीदार बनाया जाय साथ ही स्वयं सेवी संस्थाओं के आय-व्यय विवरण को चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान करने के बाद ही भागीदार बनाया जाया "एफिलिएटेड संस्थान" शब्द के स्थान पर "एशोसिएटेड संस्थान" की वैधानिक सम्भावनाओं पर विचार किया जाया।*
	4. विज्ञान संकाय- एम.एस-सी. (आर.सी.आई.) पाठ्यक्रम अध्ययन मण्डल से पारित विद्या परिषद के अनुमोदनार्थ। *निर्णय - पश्चात्वर्ती अनुमोदन किया गया।*
	5. डा. इन्द्र प्रसाद त्रिपाठी, प्रवक्ता, रसायन विज्ञान- D.Sc. (Doctor of Science) उपाधि में पंजीयन के संबंध में (नियम व इससे संबंधित प्रक्रिया) *निर्णय - विभिन्न विश्वविद्यालयों के अध्यादेश एकत्रित कर नया अध्यादेश तैयारकर प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय और आर.डी.सी. में प्रस्तुत किया जाया।*
	6. डा. शशिकान्त त्रिपाठी, समन्वयक, रिमोट सेंसिंग एण्ड जी.आई.एस.- M.Tech. in Remote Sensing and Georgaphic Information System का अनुमोदन। *निर्णय - पाठ्यक्रम चलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से अनुमति ली जाय तथा अध्ययन मण्डल की बैठक कराने के पश्चात् अगली विद्या परिषद में प्रस्तुत किया जाया।*

7. डा0 शशिकान्त त्रिपाठी, भूगर्भ विज्ञान -
Certificate/Diploma/M.Sc/M.Tech. Course R.S. & GIS अध्यादेश का अनुमोदन।

निर्णय - सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम को छोड़कर शेष पाठ्यक्रमों के लिए मध्य प्रदेश सरकार से अनुमति लिया जाय एवं अध्ययन मण्डल की बैठक कराकर अगली विद्या परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाया सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति प्रदान की गई।

8. वाणिज्य संकाय -
चार्टर्ड एकाउन्टेंट डिग्री को पी-एच.डी. हेतु मान्य करने के प्रस्ताव। उपरोक्त प्रस्ताव से संबंधित प्रस्ताव समन्वय समिति की 63वीं बैठक में भी प्रस्तुत थी उक्त बैठक के विषय क्रमांक क-1 में यह निर्णय लिया गयाथ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस संबंध में जानकारी मंगाकर आगामी बैठक में प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया जाय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मध्य क्षेत्रीय कार्यालय) के उपसचिव द्वारा वांछित जानकारी प्रेषित की गयी जिसके अनुसार ए.आई.यू. द्वारा इस विषय में लिया गया निर्णय निम्नानुसार है -
"Resolved that Bachelor degree holders who have passed the final examination of Institute of chartered Accountants of India, New Delhi, will be treated to have completed a post graduate degree in commerce or allied disciplines for purpose of registration to Ph.D."
स्थायी समिति ने चर्चा उपरांत समिति के अध्यक्ष प्रो. एच.पी. दीक्षित को इस हेतु अधिकृत किया कि वे ए.आई.यू. में संबंधित प्रकरण का परीक्षण कर समुचित निर्णय लेंगे, जो स्थायी समिति का निर्णय माना जायेगा। (विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 66वीं बैठक की कार्यसूची, भोपाल जून, 2001 से उद्धृत) समन्वय समिति के उपरोक्त निर्णय के आलोक में विद्या परिषद के माननीय सदस्यों से उचित मार्ग दर्शन अपेक्षित है।

निर्णय - समन्वय समिति का निर्णय मान्य किया जाय।

वाह्य संस्थानों से प्राप्त पत्र/प्रस्ताव-

9. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग -
हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा संचालित मध्यमा (विशारद) एवं उत्तमा (साहित्यरत्न) परीक्षा को क्रमशः बी0ए0 (प्रथम वर्ष) तथा एम0ए0 (पूर्वार्द्ध) में प्रवेश देने के संबंध में प्रस्ताव। उपर्युक्त प्रस्ताव से संबंधित प्रस्ताव सभापति हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा महामहिम कुलाधिपति जी को सम्बोधित पत्र में हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा संचालित परीक्षाओं को मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था। कुछ राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/भारत सरकार के कुछ विभागों द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन की कुछ परीक्षाओं को मान्यता दिये जाने की सूचना के परिप्रेक्ष्य में समन्वय समिति की स्थाई समिति की अनुशंसा थी कि "प्रकरण को ए.आई.यू. की इक्वीविलेंस कमेटी को प्रेषित कर उनका अभिमत प्राप्त किया जाया (विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 66वीं बैठक की कार्यसूची, भोपाल, जून, 2001 में उद्धृत) संदर्भित प्रस्ताव पर विद्या परिषद के माननीय सदस्यों से मार्गदर्शन अपेक्षित है।

निर्णय - समन्वय समिति का निर्णय मान्य किया जाय।

11.6	विश्वविद्यालय में सत्र 2000-2001 से लागू वी.एस.आर. एवं क्रेडिट सिस्टम दस्तावेज (स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत दिनांक- 8 एवं 13 जनवरी, 2001) का पश्चात्वर्ती अनुमोदन। *निर्णय - मुख्य बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त की गई तथा सूक्ष्म निरीक्षण के बाद अद्यतन नियमों को समाविष्ट करके वी.एस.आर. एवं क्रेडिट सिस्टम दस्तावेज को पूर्ण किया जाय। वी.एस.आर. को अंतिम रूप देने के लिए कुलपति, इं. राजेश खरया, उपकुलसचिव, (परीक्षा), डा. विनोद शंकर सिंह, प्रभारी, समाज कार्य की एक समिति गठित की गई।* *परीक्षा संबंधी नियम व क्रेडिट सिस्टम दस्तावेज के संबंध में अंतिम रूप देने के लिए भी समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे -* *1. डा. विनोद शंकर सिंह, प्रभारी समाज कार्य विभाग* *2. इं. राजेश खरया, उपकुलसचिव (परीक्षा)* *3. डा. सुधाकर मिश्रा, प्रवक्ता, कृषि संकाय।* *उक्त दोनों समिति में इं. राजेश खरया, उपकुलसचिव (परीक्षा) समन्वयक का कार्य करेंगे। समिति को शीघ्र ही अंतिम रूप देने के लिए कहा गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि छात्रों की उपस्थिति सामान्यतया 100 प्रतिशत होनी चाहिए जिसमें 5 प्रतिशत की छूट पाठ्यक्रम समन्वयक एवं 5 प्रतिशत की छूट अधिष्ठाता/निदेशक/प्रभारी उचित कारण होने पर दे सकेंगे। साथ ही जो छात्र पाठ्य सहगामी क्रियाओं (Co-curriculum activities) या अन्य सृजनात्मक कार्य में भाग लेने के लिए अतिरिक्त छूट चाहते है, उन्हें वर्तमान सत्र के प्रत्येक प्रश्नपत्र की एक-एक इकाईयों के टेस्ट में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करके स्वाध्याय की क्षमता साबित करना पड़ेगा। इस स्थिति में 10 प्रतिशत की छूट उचित माध्यम से प्रस्तुत करने पर कुलपति द्वारा प्रदान की जा सकेगी।*
11.7	शोध निर्देशक/सह निर्देशक/प्रशासनिक निर्देशक का अनुमोदन- *निर्णय - प्रस्तुत सूची को अनुमोदित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि भविष्य में वाह्य शोध निर्देशकों के बायो-डाटा (वैयक्तिक विवरण) मंगा लिये जायें।* *वर्तमान सत्र के लिए विद्या परिषद के एक वाह्य सदस्य से मिलकर स्थायी समिति में कुलपति द्वारा शोध निर्देशक नामित किया जायेगा।* *शोध निर्देशक की अर्हता के सम्बन्ध में तृतीय आर.डी.सी. के निर्णय एवं 10वीं विद्यापरिषद के अनुमोदन को मान्य करते हुए इस विश्वविद्यालय के उन समस्त प्राध्यापकों को शोध निर्देशक के रूप में मान्य किया गया जो उक्त अर्हता रखते हैं।*
11.8	आने वाले सत्र में (2002-2003) प्रवेश में ग्रामीण अंचल के छात्रों के लिये प्राथमिकता एवं महिलाओं के लिए आरक्षण। *निर्णय - मध्य प्रदेश शासन से शासनादेश मंगाये जायें और अगर उसमें आरक्षण का प्रावधान हो तो वर्तमान सत्र से ही लागू किया जाय। समयाभाव के कारण प्रवेश में ग्रामीण अंचल के छात्रों की प्राथमिकता पर चर्चा नही हो सकी।*

11.9	मध्य प्रदेश के बी.डी.ओ. (खण्ड विकास अधिकारी) के लिये ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करना (मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार यह ट्रेनिंग प्रोग्राम दूरवर्ती/अंशकालिक/पूर्णकालिक संचालित हो) *निर्णय - प्रोत्साहन के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा कुलपति को अधिकृत किया गया कि मध्य प्रदेश सरकार से चर्चाकर उनकी आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित करें। डिप्लोमा स्तर तक के पाठ्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं अगर आगे पाठ्यक्रम चलाने है तो स्थायी समिति में रखकर चर्चा की जा सकती है।*
11.10	प्रश्न बैंक - विश्वविद्यालय में परीक्षा प्रणाली प्रश्न बैंक द्वारा मान्य करने का प्रस्ताव। *निर्णय - मान्य किया गया।*
11.11	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार।
	1. आई.पी.एस.टी. (1) **बी.टेक. द्वितीय वर्ष में डिप्लोमा धारकों के प्रवेश के संबंध में।** लोक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के इंजीनियरिंग के डिग्री कोर्स में प्रवेश के समय बी.टेक. द्वितीय वर्ष में डिप्लोमा धारकों को रिक्त स्थानों के आधार पर वर्ष 1999-2000 से प्रवेश दिया गया है। ऐसे सभी छात्रों का पाठ्यक्रम तृतीय सेमेस्टर से शुरू होता है। अतः इनकी अंकसूची (मार्कशीट) तृतीय सेमेस्टर से देय होगी (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की निरंक रहेगी) पूरा पाठ्यक्रम तीन वर्ष का रहेगा। अतः इनका डिग्री कार्यकाल तीन वर्ष होगा। इस प्रस्ताव को विद्या परिषद के मा. सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है ताकि परीक्षा विभाग तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। *निर्णय - व्यापम (व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल) के नियम के अनुरूप अनुमोदित ।* (2) **बी.टेक. में प्रवेश के बाद पाठ्यक्रम छोड़ने वाले छात्रों के संबंध में।** (अ) बी.टेक. में प्रवेश के बाद प्रायः कुछ छात्र पाठ्यक्रम छोड़कर जाते है और अपने जमा कराये गये मूल प्रमाण पत्रों को वापस लेने का आवेदन करते है। छात्रों के प्रवेश के समय एक किश्त शुल्क जमा कराया जाता है। दूसरी किश्त द्वितीय सेमेस्टर में जमा होती है। प्रथम सेमेस्टर पूरा करने के साथ अथवा पूर्व छोड़ने वाले छात्रों से पूरा शुल्क लिया जाय अथवा शुल्क वापस किया जाय? इस संबंध में संभवतः संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा पूर्व में एक आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत छात्र को 10 प्रतिशत फीस कटौती कर शेष राशि वापस लौटाने का प्रावधान है। अतः विद्या परिषद से इस दिशा में मार्गदर्शन अपेक्षित है। *निर्णय - DTE के वर्तमान सरकुलर के अनुसार कार्यवाही हो।* (ब) बी.टेक में प्रवेश के बाद यह भी कभी-कभी सामने आया है कि छात्र किसी कारणवश सत्र की कक्षाएं करने में अपने आप को असमर्थ पाता है और अगले सत्र के साथ कक्षा में पाठ्यक्रम की अनुमति चाहता है। इस विषय पर विद्या परिषद के मा. सदस्यों से मार्गदर्शन अपेक्षित है।

	इस संबंध में वर्तमान में दो छात्रों के आवेदन है- (i) श्री ओम प्रकाश गोडसे IV Sem. W-grade हेतु। (ii) श्री राजकिशोर I year (I Sem.) -ISem. W-grade हेतु। *निर्णय - क्रेडिट सिस्टम के अनुसार कार्यवाही हो, अलग से कोई नियम न बनाया जाया*
	2. ललित कला संकाय - अध्ययन मण्डल द्वारा पारित बी.एफ.ए. पाठ्यक्रम (क्रेडिट प्रणाली के अनुसार) के अनुमोदन पर विचार। *निर्णय - पुराने बैच के लिए अनुमोदित किया गया। नये सत्र 2001-2002 से पहले पुनरीक्षित किया जायेगा तथा स्थायी समिति के अनुमोदनोपरांत लागू होगा।*
	3. समाज कार्य विभाग - अध्ययन मण्डल द्वारा पारित एम.ए. (समाज कार्य) के पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार। *निर्णय - अनुमोदित। (आने वाले बैच से लागू होगा)*
	4. बी.ए. (विकास प्रशासन) - क्रेडिट विभाजन का पश्चात्वर्ती अनुमोदन बावत्। *निर्णय - अनुमोदित। (उक्त पाठ्यक्रम में म.प्र. यूनीफाइड पाठ्यक्रम के विषयों/प्रश्नपत्रों को दो भागों में (सेमेस्टर) बाटकर पढ़ाया जाना मान्य किया गया।*
	5. एम.फिल्/पी-एच.डी. तैयारी पाठ्यक्रम का क्रेडिट विभाजन एवं पाठ्यक्रम का पश्चात्वर्ती अनुमोदन। (पूर्व में कुलपति द्वारा अनुमोदित) *निर्णय - अनुमोदित ।*
	6. पी-एच.डी. पुनर्पंजीयन के नियम के संबंध में- *निर्णय -* *- कोई भी पुराना छात्र नये सिरे से वर्तमान नियमानुसार (प्रवेश परीक्षा) एक बार पुनर्पंजीकृत हो सकता है।* *- यदि कोई एम.फिल्. है एवं विश्वविद्यालय/ महाविद्या. में शिक्षक है तो **Prepatory** कोर्स से मुक्त **Special test** के आधार पर हो सकता है, परन्तु उसे अपने विषय में एवं **Prepatory subject** (पांचों पेपर) पर जानकारी साबित करनी होगी। जो टेस्ट प्रवेश के एक महीनें के अन्दर हो सकता है।* *- यदि किसी ने थीसिस लिख लिया हो तो एक **National level Institute/University (TISS,IRMA, Xavier, IIT etc.)** के विशेषज्ञ द्वारा उचित माना गया तो एक साल तक और यदि साथ में दो **Referred paper** स्वीकृत है तो डेढ़ साल तक छूट आर.डी.सी. दे सकती है।*
	7. एस.सी./एस.टी. छात्रों को पी-एच.डी. में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता में छूट पर विचार- *निर्णय - कुलपति महोदय समन्वय समिति में प्रकरण को रखेंगे। समन्वय समिति के निर्णय के पूर्व विज्ञापन के अनुसार ही न्यूनतम अर्हता रखी जाया।*

8. विश्वविद्यालय की परीक्षा संबंधी कार्यों की दरों को (अन्य विश्वविद्यालयों की तरह) बढ़ाने के संबंध में विचार-

निर्णय - निम्नानुसार संशोधित दरों को अनुमोदित किया गया। यह दरे वाह्य परीक्षकों पर ही लागू होंगी। यह दरें विद्यापरिषद की बैठक के निर्णय की तिथि से प्रभावी होगी।

Particulars	Rate
FOR UNDER GRADUATE	
Paper setting - each question paper	Rs. 150/- per paper, Rs. 50/- for translation if necessary.
Marking of each answer book	Rs. 5.00 per A/B (Min. Rs.100.00).
Practical examination - each subject	Rs. 5.00 per candidate (min. Rs. 100.00).
Revaluation of each answer book	Rs. 20.00 per examinar (min. Rs. 50.00). per examiner
Reading of project, Report including Viva-Voce per project Report	Rs. 100.00
FOR POST GRADUATE	
Paper setting each question paper	Rs. 200/- per paper, Rs. 50/- for translation if necessary.
Marking of each answer book	Rs. 8.00 per A/B (Min. Rs. 100.00)
Practical examination - each subject	Rs. 5.00 per candidate (min. 150.00).
Revaluation of each answer book	Rs. 20.00 per examiner (min. Rs. 50.00) per examiner
Reading of thesis, dissertation including Viva-Voce (min. 02 thesis per examiner)	Rs. 200.00 per candidate
For Ph.D.	
Reading a thesis per candidate	Rs. 400.00 for per examinar = 800.00
Practical & Viva-Voce	250/- for Viva-Voce per candidate
Conveyance allowance*	Rs. 50.00 per day.

Note : 1. If a paer is set by two examinars, the remuneration shall be divided equally between them.

2. If a paer for an examination consists of two sections, both of which are compulsory, the remuneration payble for examining each answer book in a section, shall be half the remuneratuion prescrided for examining each answer book in the full paper. (Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, Chitrakoot, Satna - M.P.)

* 3. Conveyance Allowance :- Members of the authorities, bodies or

	committees of the Vishwavidyalaya, Moderators, inspectors and examiners residing at the place of business of the Vishwavidyalaya shall be entitled to conveyance allowance at the rate of 50.00 per meeting subject to maximum of Rs. 50.00 per day. No conveyance allowance will be paid to a member who attends the meeting at the same capmus. (Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, Chitrakoot, Satna - M.P.)
	9. बी.एस-सी. (कृषि एवं उद्यमिता) पाठ्यक्रम के अध्ययन मण्डल द्वारा पारित प्रस्ताव का अनुमोदन। सत्र 2001-2002 से लागू (सेमेस्टर वाइज कोर्स ब्रेक-अप अकादमी एवं परीक्षा संबंधी नियमावली) *निर्णय - बी.एस-सी. (कृषि एवं उद्यमिता) पाठ्यक्रम के अध्ययन मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय को अनुमोदित किया गया, जो वर्तमान सत्र (2001-2002) से प्रभावी होगा। साथ ही साथ सत्र 1999-2000 एवं 2000-2001 में प्रवेशित छात्रों के लिए उक्त पाठ्यक्रम हेतु, पूर्व निर्मित कैरीकुलम को विद्या परिषद द्वारा पश्चात्वर्ती अनुमोदन प्रदान किया गया।*
	10. एम.एस-सी. (पर्यावरण) पाठ्यक्रम का क्रेडिट विभाजन (वरिष्ठ बैच के लिए) का पश्चात्वर्ती अनुमोदन। *निर्णय - अनुमोदित किया गया।*
	11. विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए दी गई उपाधियों के प्रारूप का पश्चात्वर्ती अनुमोदन। *निर्णय - सदस्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए दी जाने वाली उपाधियों के नमूने को देखा एवं अनुमोदित किया।*
	12. बी.एस-सी (आई.टी.ए.) का पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट विभाजन - अनुमोदनार्थ। *निर्णय - बी.एस-सी. (आई.टी.ए.) के पाठ्यक्रम एवं क्रेडिट विभाजन (अध्ययन मण्डल द्वारा पारित) को अनुमोदित किया गया।*
	13. सत्र 2001-2002 में बी.एफ.ए. की प्रतिवर्ष शुल्क रू. 4900/- से घटाकर रू. 3500/- करने बावत्। *निर्णय - सत्र 2001-2002 में बी.एफ.ए. की प्रतिवर्ष शुल्क रू. 4900/- से घटाकर रू. 3500/- रखने की स्वीकृति प्रदान की गई।*

अंत में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई एवं अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

(बृजेश उपाध्याय)
प्र. कुलसचिव